भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1503

दिनांक 28/07/2026 को उत्तरार्थ

ग्राम पंचायतों में क्षमता निर्माण

1503. डॉ. राजकुमार सांगवानः

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 30 जून, 2026 तक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत बागपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में कितने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और पंचायत अधिकारियों को क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण दिया गया है और इस पर कितना खर्च हुआ है;

(ख) बागपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की तैयारी और जन योजना अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बागपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में डिजिटल प्रशासन, वित्तीय प्रबंधन और जनभागीदारी को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत कोई अतिरिक्त प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता अथवा विशेष परियोजना लागू करने का है; और

(घ) यदि हों, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) पंचायत, "स्थानीय स्व-शासन" होने के नाते राज्य का विषय है। हालाँकि, पंचायती राज मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2022-23 से 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान' की केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है। इसका निर्वाचन क्षेत्र-वार डेटा केंद्रीय स्तर पर उपलब्ध नहीं है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में संशोधित आरजीएसए के तहत प्रशिक्षित निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	**बागपत ज़िले में प्रशिक्षित कुल प्रतिभागी**
2022-23	539
2023-24	466
2024-25	349
2025-26	2921
2026-27(दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार)	0
कुल	**4275**

स्रोत: प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल के अनुसार।

संशोधित आरजीएसए योजना मांग-आधारित प्रकृति की है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजनाओं और व्यय की गति के आधार पर धनराशि जारी की जाती है। इसके अतिरिक्त निधि का उपयोग केवल उन अनुमोदित घटकों के लिए किया जाना है , जिन्हें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्राथमिकता दी गई है। मंत्रालय इस योजना के तहत केवल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि जारी करता है। वर्ष 2022-23 से वर्ष 2026-27 तक (दिनांक 10.07.2026 की स्थिति के अनुसार) उत्तर प्रदेश राज्य को कुल 251 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।

(ख) मंत्रालय द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों पर जनभागीदारी के माध्यम से आगामी वित्तीय वर्ष के लिए साक्ष्य-आधारित, समग्र और समावेशी विकास योजनाओं को जमीनी स्तर पर व्यवस्थित रूप से तैयार करने के लिए जन योजना अभियान संचालित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने के संबंध में जन योजना अभियान के तहत हुई प्रगति इस प्रकार है:

वित्त वर्ष	**ग्राम पंचायतों की संख्या**	**ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड की गई जीपीडीपी**
2022-23	244	244
2023-24	244	243
2024-25	244	244
2025-26	244	243
2026-27	244	43

(ग) और (घ) इसके अलावा, पंचायतों में ई-सक्षमता को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रालय ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) को कार्यान्वित कर रहा है, जिसने जमीनी स्तर पर पारदर्शिता, कार्यदक्षता और डिजिटल शासन को मजबूत बनाया है। इसके तहत, ईग्रामस्वराज ऐप पंचायत स्तर पर डिजिटल योजना, लेखांकन, निगरानी और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही, इसे वास्तविक समय में भुगतान और निर्बाध निधि प्रवाह के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकृत किया गया है। पंचायतों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की पारदर्शी खरीद को सक्षम बनाने के लिए इस ऐप को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के साथ भी एकीकृत किया गया है। इसके अलावा, पंचायत खातों और वित्तीय प्रबंधन की ऑनलाइन लेखापरीक्षा के लिए ऑडिटऑनलाइन ऐप को विकसित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत बागपत जिले में कुल 347 प्रतिभागियों को डिजिटल प्रशिक्षण तथा 458 प्रतिभागियों को स्वयं के स्रोतों से राजस्व (OSR) संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
